अधिनियम 1963 की धारा 17 में प्रावधान किया गया है – धोखाधड़ी के संबंध में वाद लाने की विहित अवधि धोखे की जानकारी होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दीवानी वाद दायर किया जा सकता है।

- अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी/वादी का वाद विहित अवधि के भीतर होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पोषणीय नहीं होने के कारण एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 03.11.2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–1, कोटा

अपर जिला न्यायाधीश
क्रम–1 कोटा

3-11-25 वकुलाए करीबोन उपस्थित। गवाह केस से पीडित है। इस कारण अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दि० 7-11-25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)

7-11-25 वकुलाए करीबोन उपस्थित। प्रतिवादी गवाह हाजिर नहीं है। आगामी तारीख पेशी पर गवाह प्रतिवादी सम्मन से नहीं आता है तो साक्ष्य बंद कर दी जावेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक 10-11-25 को पेश हो।

गवाह पेश नहीं होने पर खारिज हो, दी गई।
10/11/25

10-11-25 वकुलाए करीबोन उपस्थित। पत्रावली में प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दि० 13-11-25 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
क्रम–1, कोटा (राज.)